22.8.24 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उप.।
पत्रावली वास्ते तामिलात कार्यवाही हेतु
दिनांक 10.10.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

28.8.24 प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली आज तलब की गयी
प्रार्थी द्वारा [illegible] अपने वाद को [illegible] करवाने हेतु [illegible] पेश किये. [illegible] पर प्रार्थी को सुना गया।
[illegible] प्रार्थी की [illegible] अनुसार [illegible] वाद [illegible] 24 में स्वीकार किया जाकर [illegible] के [illegible] जाकर शामिल [illegible] किया गया।
विचारण प्रश्न की तामील हेतु [illegible] के नाम जारी हो
पत्रावली वास्ते विचारण प्रश्न का [illegible] हेतु नियत तिथि 10.10.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

10.10.24 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उप.।
विचारण प्रश्न [illegible] [illegible] [illegible]
पत्रावली दिनांक 14.11.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिंणधरी

14.11.24 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। इसलिये वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 26.12.24 को पेश हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:53 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप.।

न्यायालय आदेश की पालना में तलब किये गये विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवचेन किया गया। चूंकि मौके पर उपस्थित पक्षकारान द्वारा अपने विभाजन को लेकर एतराज जताते हुए एक अन्य प्रकरण राजस्व आवेदन सं. 48/2021 रामाराम बनाम बगदाराम जो कि तरमीम दुरूस्तीकरण हेतु विचाराधीन है, के निपटारा उपरांत ही अपने खातेदारी जोत की विभाजन करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में जब पक्षकारान अपने खातेदारी खेत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में अदालत बिना किसी ठोस कारणों के अपना अमूल्य समय पक्षकारान के सहमति के इन्तजार में व्यर्थ जाया नहीं करना चाहती है।

लिहाजा उभयपक्ष अपने विभाजन के वाद में किसी प्रकार की चाराजोही अथवा विभाजन करवाने को तैयार नहीं होने की दशा में वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तरमीम दुरूस्तीकरण हेतु विचाराधीन प्रकरण के तद्‌परांत अपने मूलवाद को विधिक कार्यवाही के पुनः बरामद कराते हुए न्यायालय में चाराजोही हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:53 IST
Reason: SelfAttested